

## कान्हा टाइगर रजिस्ट्रे

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के [कान्हा टाइगर रजिस्ट्रे](#) में एक बाघनि मृत पाई गई।

### मुख्य बादु

#### ■ शव की खोज:

- वन अधिकारियों को कान्हा टाइगर रजिस्ट्रे के परसनटोला बीट स्थिति मुक्की वन परकिषेत्र में दो वर्षीय बाघनि का शव मिला।
- **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** के दशा-निर्देशों और मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव संरक्षक के निर्देशों के बाद अधिकारियों ने स्थल को सुरक्षित कर लिया और जाँच शुरू कर दी।

#### ■ शवपरीक्षा (पोस्ट-मार्ट्टम):

- वैशिष्ट्य वन्यजीव चकितिस्कों की एक टीम ने पोस्ट-मार्ट्टम किया।
- अधिकारियों ने पुष्टिकी किशीर के सभी अंग सुरक्षित हैं तथा उन्होंने शक्ति को मृत्यु का कारण मानने से मना कर दिया।
- उन्हें संदेह है कि बाघनि की मौत कसी अन्य बाघ के साथ क्षेत्र संघर्ष में हुई।

#### ■ कान्हा टाइगर रजिस्ट्रे:

- यह मध्य प्रदेश के दो ज़िलों- मंडला और बालाघाट- में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वसितृत है।
- वर्तमान कान्हा क्षेत्र को दो अभ्यारण्यों, हालोन और बंजार में वभिजिति किया गया था। वर्ष 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1973 में इसे कान्हा टाइगर रजिस्ट्रे बना दिया गया।
  - कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

## राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) प्रयावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सफारियों के बाद की गई थी।
- इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया) के प्रावधानों के तहत किया गया था, ताकि इसे नियंत्रित की गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को सशक्त किया जा सके।